कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ।

संख्या: प-2151/2015/15558/एस0केडब्ल्यू/लखनऊ/1722/सी0एफ0ओ .2016

सेवा में,

श्री विजय गोपाल,
ए0-701-सृष्टि अपार्टमेन्ट,
107बी0 मदन मोहन मालवीय मार्ग
लखनऊ।

विषय:- फैजाबाद रोड इन्दिरानगर लखनऊ में समाविष्ट खसरा संख्या- 569,572,57 एवं,578 के ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ [illegible] कम्पलेक्स द्वितीय तल इन्दिरानगर लखनऊ के पत्र संख्या: 1113/नि0प्रा063/2015 दिनांक: 03.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आप को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 24.11.2015 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के पंचम तल का कवर्ड एरिया 244.72 प्रस्तावित था, किन्तु पुनरीक्षित मानचित्र में पंचम तल पर 244.70 कवर्ड एरिया के अतिरिक्त 240.00 वर्गमीटर में ई0डब्ल्यू0एस0 तथा इल0आई0जी0 के आवास हेतु प्रस्तावित है। शेष स्थित यथावत है।

अतः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 24.11.2015 के द्वारा प्रस्तावित शर्तों के साथ भूखण्ड संख्या- (पार्ट) नम्बर- 569,572,573,578 इन्दिरानगर फैजाबाद रोड लखनऊ में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-, 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

10.05.2016

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुए यह मानचित्र स्वीकृत मानचित्र संख्या 2065 दिनांक 18/7/ का अभिन्न भाग है।
18/7/16
(वास्तुविद नियोजक)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ।

संख्याः प-2151/2015/15558/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/1722/सीएफओ — दिनांकः नवम्बर 24, 2015

सेवा में,

मेसर्स गोपाल कोल्ड स्टोरेज,
प्लाट खसरा (पार्ट) नम्बर- 569, 572, 573,570
इन्दिरानगर फैजाबाद रोड
लखनऊ।

विषयः- भूखण्ड संख्या- (पार्ट) नम्बर- 569,572,573,570 इन्दिरानगर फैजाबाद रोड लखनऊ में मेसर्स गोपाल कोल्ड स्टोरेज द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक 18.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिनकी आख्या का परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

भवन की संरचना :-

1- भवन का कुल भूखण्ड एरिया- 2490.30 वर्ग मीटर
- भूतल का कवर्ड एरिया- 870.88 वर्ग मीटर
- प्रथम तल से चतुर्थ तल तक प्रत्येक की कवर्ड एरिया- 870.88 वर्ग मीटर
- पंचम तल का कवर्ड एरिया- 244.72 वर्ग मीटर

2- भवन की अधिकतम् ऊँचाई- 17.8 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणीः-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्थाः-

1- पहुँच मार्ग :- भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12.00 मीटर रोड की चौडाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौडाई- भवन में प्रवेश हेतु प्रस्तावित गेट की चौड़ाई- 04.50 मीटर है।

3- सेटबैकः- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत हैः-
- अग्रभाग- 09.00 मीटर
- पृष्ठभाग- 06.00 मीटर
- पार्श्व भाग- 06.00 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय 06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनिक्मावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4-निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर केस 1.50 मीटर चौडाई के मानचित्र में प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरियाः- आवश्यक नही है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः- एन0बी0सी0-2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थायें की जानी अनिवार्य हैः-

1- भूमिगत टैंकः- आवश्यक नही है।

2- पम्पः- आवश्यक नही है।

3- होजरील : प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है

4- वेट राइजर :- आवश्यक नही है।

5- यार्ड हाइड्रेन्ट- आवश्यक नही है।

6- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में प्राविधानित है।

Scanned with OKEN Scanner

7- स्वचालित डिटेक्शन एवँ एलार्म सिस्टम :- भवन में आवश्यक नही।
8- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः- आवश्यक नही है।
9- टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टैरिस टैंक 25000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10- टेरिस पम्पः- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता का टेरेस पम्प का स्थापित किया जा
आवश्यक है।
11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूसर आई०
2190- 2010 के अनुसार मानचित्र में प्राविधान है।
12- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः- फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा है।
13- प्रेशराइजेशन प्रणाली- आवश्यक नही।
14- एग्जिट साइनेजः- सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेट प्राविधानित किये जाने होगे।
15- पी०ए० सिस्टमः- सम्पूर्ण भवन में पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर भूखण्ड संख्या (पार्ट) नम्बर- 569,572,573,570 इन्दिरानगर फैजाबाद रोड लखनऊ में मेसर्स गोपाल कोल्ड स्टोरेज द्वारा प्रस्तावित आवास भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(ए०बी०पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपिः- अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर को सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु।